//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 149/2013

उनवान

1. शिवराज पुत्र पांचू,
2. गोपी देवी पत्नी पांचू (तर्क) जाति जाट नि. ग्राम सनोद, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 तीजी पत्नि स्व. रामकरण
2. जीवण उर्फ जीवणराम पुत्र स्व. रामकरण
3. देवकरण पुत्र स्व. रामकरण
4. जीवणी पुत्री स्व.रामकरण
5. शांति पुत्री स्व. रामकरण
6. सुरता पुत्री स्व. रामकरण समस्त जातिगण जाट निवासी ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज0)
7. रामधन पुत्र हजारी जाट
8. श्रीमती मूली पत्नि अमरा जाट
9. शिवराज पुत्र अमरा जाट
10. भागचन्द पुत्र अमरा जाट
11. गजराज पुत्र अमरा जाट
12. लाला पुत्र अमरा जाट
13. काली पुत्री अमरा जाट
14. श्रीमती काली पत्नि हीरा लाल जाट
15. देवराज पुत्र हीरा लाल जाट आयु 8 वर्ष नाबालिग पुत्र जरिऐ प्राकृतिक संरक्षिका माता काली पत्नि हीरा लाल जाट समस्त जातिगण जाट निवासी ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
16. कालूराम पुत्र स्व. लादू जाट
17. किशन लाल पुत्र स्व. लादू जाट
18. गोपाल पुत्र स्व. लादू जाट
19. गुलाब पुत्री लादू जाट
20. प्रेम पुत्री लादू जाट
21. कमला पत्नि कानाराम उर्फ कन्हैयालाल जाट
22. मोतीलाल पुत्र कानाराम उर्फ कन्हैयालाल जाट
23. शौकिन पुत्र कानाराम उर्फ कन्हैयालाल जाट
24. रणजीत पुत्र कानाराम उर्फ कन्हैयालाल जाट समस्त जातिगण जाट निवासी ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज0)

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

25\. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण :— 22 व 23 जरियें अधिवक्ता श्री सुखेदव चौधरी
शेष अनुपस्थित
25 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :—21.8.23

—: निर्णय :—

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ग्राम सनोद की आराजी के संयुक्त खातेदार/काश्तकार है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
279/255	किता 18	2.06
278/254	किता 7	1.66
1250/1159	किता 3	1.06

उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग—अलग हिस्से के रूप में दर्ज है। जिसका विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। तथा आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने व दखलदांजी करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 22 व 23 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आम्बा पुत्र गिल्या के हिस्से पर जवाब कुनिन्दा काबिज है। वाद सव्यय खारिज किया जावे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश नही किया। शेश प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1\. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है ?
—— वादी

2\. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन मे राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी शिवराज व शोभालाल के बयान करवाये। अधिवक्ता प्रतिवादी को समुचित अवसर देने ने उपरान्त भी कोई साक्ष्य पेश नही किये जाने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग खातों में सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी अविभाजित है जिसका विभाजन राजस्व अभिलेख में नही हुआ है। वादी उक्त आराजी का विभाजन कराना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 22 से 23 ने प्रकरण का ठोस खण्डन व साक्ष्य पेश नही है। शेष प्रतिवादीगण खण्डन हेतु उपस्थित नही हुये है। राज0 पैरोकार ने भी प्रकरण में जवाब/खण्डन पेश नही किया। आराजी मुतजनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी पेश कर सकते है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन न्यायोचित है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद के खाता संख्या 188/279 किता 18 रकबा 2.06, 186/278 किता 7 रकबा 1.66 व 913/1250 किता 3 रकबा 1.06 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व अन्य सह खातेदार के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

शिवराज बनाम तीजी

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 149/2013
पेश करने की दिनांक – 11.09.2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस) –व हाजिर अभिभाषक सीतारामरावत मुद्दई प्रतिवादी सुखदेव चौधरी व राज0पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद के खाता संख्या 188/279 किता 18 रकबा 2.06, 186/278 किता 7 रकबा 1.66 व 913/1250 किता 3 रकबा 1.06 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व अन्य सह खातेदार के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज २१ माह ०८ सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested